

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./102/2018/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

- | | | |
|---|------|--|
| 1. ताजाराम पुत्र अर्जुनराम | बनाम | 1. गोविन्दसिंह पुत्र अखसिंह |
| 2. शंकरलाल पुत्र हेमराज जाति सुथार निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर। | | 2. सांगसिंह पुत्र अखसिंह |
| | | 3. बांकसिंह पुत्र राणसिंह |
| | | 4. खुशालसिंह पुत्र राणसिंह |
| | | 5. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह |
| | | 6. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह |
| | | 7. इन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह |
| | | 8. गोविन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह |
| | | 9. नाथूसिंह पुत्र भंवरसिंह |
| | | 10. श्रीमती चन्द्रकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कीता तहसील रामसर जिला बाड़मेर |
| | | 11. अचलसिंह पुत्र धीरसिंह |
| | | 12. अनोपसिंह पुत्र धीरसिंह |
| | | 13. तेजमालसिंह पुत्र धीरसिंह |
| | | 14. श्रीमती कंशरकंवर पत्नी धीरसिंह |
| | | 15. सुजानसिंह पुत्र प्रतापसिंह |
| | | 16. कमलसिंह पुत्र प्रतापसिंह |
| | | 17. जोधसिंह पुत्र प्रतापसिंह |
| | | 18. वीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह |
| | | 19. श्रीमती रेखाकंवर पत्नी प्रतापसिंह |
| | | 20. पीरसिंह पुत्र तेजमालसिंह |
| | | 21. रतनसिंह पुत्र जुगतसिंह |
| | | 22. रामसिंह पुत्र जुगतसिंह |
| | | 23. हीरसिंह पुत्र जुगतसिंह |
| | | 24. छुगसिंह पुत्र जुगतसिंह |
| | | 25. नरपतसिंह पुत्र सगतसिंह |
| | | 26. मदनसिंह पुत्र सगतसिंह |
| | | 27. श्रीमती इन्द्रकंवर पत्नी सगतसिंह |
| | | 28. नगसिंह पुत्र सोहनसिंह |
| | | 29. गेमरसिंह पुत्र सोहनसिंह के कायम मुकाम :- |
| | | 29/1 तनसिंह पुत्र गेमरसिंह |
| | | 29/2 भीखसिंह पुत्र गेमरसिंह |
| | | 29/3 गिरधरसिंह पुत्र गेमरसिंह |
| | | 29/4 राजूसिंह पुत्र गेमरसिंह |
| | | 29/5 मोकमसिंह पुत्र गेमरसिंह |
| | | 29/6 श्रीमती लूणकंवर पत्नी गेमरसिंह |
| | | 30. ईश्वरसिंह पुत्र सोहनसिंह |
| | | 31. पबसिंह पुत्र सोहनसिंह |



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

32. कुम्पसिंह पुत्र सोहनसिंह
33. हुकमसिंह पुत्र हंसराजसिंह
34. बालसिंह पुत्र हंसराजसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कीता तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
35. मैनेजर एस बी बी जे रामसर
36. मैनेजर एस बी बी जे कृषि उपज मण्डी बाड़मेर।
37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./116/2018/बाड़मेर

अपीलांत

पीरसिंह पुत्र तेजमालसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया कीता तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।

रेस्पोंडेंटगण

- बनाम
1. गोविन्दसिंह
 2. सांगसिंह पिसरान अखसिंह
 3. बांकसिंह
 4. खुशालसिंह पिसरान राणसिंह
 5. सवाईसिंह
 6. देवीसिंह
 7. इन्द्रसिंह
 8. गोविन्दसिंह
 9. नाथुसिंह पिसरान भंवरसिंह
 10. चन्द्रकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह जातियान राजपूत, निवासीयान खारिया कीता, तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

उत्तरदातागण(प्रतिवादीगण)

11. अचलसिंह
12. अनोपसिंह
13. तेजमालसिंह पिसरान धीरसिंह
14. केशरकंवर पत्नी स्व. धीरसिंह
15. सुजानसिंह
16. कमलसिंह
17. जोधसिंह
18. वीरसिंह पिसरान प्रतापसिंह
19. रेखाकंवर पत्नी प्रतापसिंह
20. रतनसिंह
21. रामसिंह
22. हीरसिंह
23. छुगसिंह पिसरान जुगतसिंह
24. नरपतसिंह
25. मदनसिंह पिसरान सगतसिंह
26. इन्द्रकंवर पत्नी सगतसिंह
27. नगसिंह पुत्र सोहनसिंह
28. गेमरसिंह पुत्र सोहनसिंह के कायम मुकाम :-
- 28/1 तनसिंह
- 28/2 भीखसिंह
- 28/3 गिरधरसिंह



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

- 28/4राजसिंह
 28/5मोकमसिंह पिसरान गेमरसिंह
 28/6लूणकंवर पत्नी गेमरसिंह
 29.ईश्वरसिंह पुत्र सोहनसिंह
 30.पबसिंह पुत्र सोहनसिंह
 31.कुंपसिंह पुत्र सोहनसिंह
 32.हुकमसिंह
 33.बालसिंह पिसरान हंसराजसिंह
 जातियान राजपूत निवासीयान
 खारिया कित्त
 34.ताजाराम पुत्र अर्जुनराम
 35.शंकरलाल पुत्र हेमराज जाति
 सुथार निवासी रामसर
 36.मैनेजर एस.बी.बी.जे.रामसर
 37.मैनेजर एस.बी.बी.जे. कृषि
 उपज मण्डी बाड़मेर।
 38.मैनेजर बाड़मेर सेन्द्रल
 कॉपरेटिव बैंक, कृषि मण्डी बाड़मेर
 39.राजस्थान सरकार जरिये
 तहसीलदार रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2012 बअनवान गोविन्दसिंह वगै. बनाम अचलसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2017 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 12.07.2019



अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति खातेदारी के खेत खसरा संख्या 01 रकबा 125.14 बीघा मौजा रामदेव मंदिर में तथा खसरा संख्या 113 रकबा 89.06 बीघा, खसरा संख्या 114 रकबा 122.05 बीघा व खसरा संख्या 143 रकबा 356.15 बीघा कुल रकबा 694 बीघा आये हुए है। जागीर रिज्युम होकर पैमाईश संवत् 2010-11 की गई तब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा नपवा दिये थे जिसमें 1/3 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का, प्रतिवादी संख्या 05 से 17 का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 से 25 का है। अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते आ रहे है। बंदोबस्त कर्मियों की भूल से या गिलावट से खसरा संख्या 01 का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 05 से 17 के पूर्व पुरुष तेजमालसिंह के नाम, 114 व 143 का पर्चा लगान ला औलाद फौत उत्तमा पुत्र दुर्गा तथा खसरा संख्या 113 का पर्चा लगान तेजमालसिंह, उत्तमसिंह, अखा व सोना के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये गये। खसरा संख्या 114 व 143 के खातेदार उत्तमा लाऔलाद फौत होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

पर अकेले प्रतिवादी संख्या 10 के नाम नामान्तकरण संख्या 115 कायम किया गया जिसमें पीरा उर्फ पीरसिंह को नजदीक वारीस बताकर भरा गया जबकि पीरा उर्फ पीरसिंह अकेला वारीस नहीं था वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 25 सभी उत्तमा के वारीसान है तथा प्रत्येक थोक का 1/3, 1/3 हिस्सा आता है। तथा काश्त करते आ रहे है। बाद में उत्तमसिंह के स्थान पर खसरा संख्या 114 व 113 का इन्द्राज अपने नाम से होने का फायदा उठाकर पीरसिंह ने खसरा संख्या 143 में से 50 बीघा का बेचान प्रतिवादी संख्या 26 को व 48 बीघा का बेचान प्रतिवादी संख्या 27 को कर दिया, जिनके नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रतिवादी संख्या 26 व 27 को किये गये बेचानों एवं उसके आधार पर पारित नामान्तकरण संख्या 115 शून्य करार दिलवाते हुए समस्त वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 17 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 से 25 की खातेदारी में घोषित करवाने तथा अपने व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के 1/3 हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त पृथक करवाने हेतु इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। तनकी संख्या 01 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईडिंग देने से पूर्व किसी भी प्रकार से पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया गया। तनकी संख्या 01 को मात्र वंशवृक्ष में उल्लेखित पीढीयों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबित मान लिया गया जो कि गलत रूप से माना गया। राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके गांव कैम्प का आयोजन होने से उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी गई। जिसके कारण उक्त पत्रावली में करीबन 03 माह तक पेशी तारीख नहीं दी गई और तत्पश्चात वादीगण द्वारा विभाजन की इस्तदुआ जमा नुसुझकर विज्ञो की गई। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अनुचित रूप से प्रभावित कर यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि से परे जाकर पारित करवाई। तनकी संख्या 04 का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विरुद्ध जाकर प्रतिवादी के विरुद्ध काल्पनिक एवं मनमर्जी से निर्णित की गई है प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। कि वक्त बन्दोबस्त अमुमन यह परम्परा रही है कि संयुक्त परिवार की अचल सम्पत्ति में प्रत्येक क्षेत्र के बड़े पुत्र का नाम बन्दोबस्त रिकोर्ड में दर्ज कर दिया जाता था "पूर्णतया गलत, निराधार एवं विधि विरुद्ध जाकर काल्पनिक दर्ज किया गया है। जबकि वास्तव में बन्दोबस्त के समय कोई संयुक्त हिन्दू परिवार मौजूद होने पर उसके ज्यादा सदस्य होने पर कर्ता खानदान के नाम के साथ "वगैरह" शब्द का अंकन किया जाता था। जबकि ऐसी परम्परा नहीं थी, अपने अपने हक हिस्से कब्जा काश्त के अनुसार ही सेटलमेंट में नाम दर्ज होते थे। यदि किसी को आपत्ति होती थी, तो



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तत्समय ही दौराने बंदोबस्त आपत्ति पेश कर नाम दर्ज करवाने का प्रावधान था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 05 का विवेचन गलत रूप से किया है "किसी डायरी (चौपड़ी) पर लिखे गये गोदनामा जिसका पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन न हो का कोई कानूनी आधार नहीं है।" यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गोदनामा विधिनुसार रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। अनरजिस्टर्ड गोदनामा उतना ही प्रभावी होता है जितना रजिस्टर्ड गोदनामा होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारणा गलत रूप से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौजूद अभिवचनों से परे जाकर अपनी कल्पना के आधार पर उक्त बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये गये है जो विधि विरुद्ध होने के साथ ही वादीगण से अनुचित रूप से प्रभावित होकर यह फाईडिंग देना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध यह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित किये गये है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि तनकी संख्या 01 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईडिंग देने से पूर्व किसी भी प्रकार से पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया गया। तनकी संख्या 01 को मात्र वंशवृक्ष में उल्लेखित पीढीयों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबित मान लिया गया जो कि गलत रूप से माना गया। राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके गांव कैम्प का आयोजन होने से उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखी गई। जिसके कारण उक्त पत्रावली में करीबन 03 माह तक पेशी तारीख नहीं दी गई और तत्पश्चात वादीगण द्वारा विभाजन की इस्तदुआ जानबुझकर विद्रो की गई। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अनुचित रूप से प्रभावित कर यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि से परे जाकर पारित करवाई। तनकी संख्या 04 का भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विरुद्ध जाकर प्रतिवादी के विरुद्ध काल्पनिक एवं मनमर्जी से निर्णित की गई है प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। कि वक्त बन्दोबस्त अमुमन यह परम्परा रही है कि संयुक्त परिवार की अचल सम्पति में प्रत्येक क्षेत्र के बड़े पुत्र का नाम बन्दोबस्त रिकोर्ड में दर्ज कर दिया जाता था "पूर्णतया गलत, निराधार एवं विधि विरुद्ध जाकर काल्पनिक दर्ज किया गया है। जबकि वास्तव में बन्दोबस्त के समय कोई संयुक्त हिन्दू परिवार मौजूद होने पर उसके ज्यादा सदस्य होने पर कर्ता खानदान के नाम के साथ "वगैरह" शब्द का अंकन



राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाता था। जबकि ऐसी परम्परा नहीं थी, अपने अपने हक हिस्से कब्जा काश्त के अनुसार ही सेटलमेंट में नाम दर्ज होते थे। यदि किसी को आपत्ति होती थी, तो तत्समय ही दौराने बंदोबस्त आपत्ति पेश कर नाम दर्ज करवाने का प्रावधान था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 05 का विवेचन गलत रूप से किया है "किसी डायरी (चौपड़ी) पर लिखे गये गोदनामा जिसका पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन न हो का कोई कानूनी आधार नहीं है।" यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गोदनामा विधिनुसार रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। अनरजिस्टर्ड गोदनामा उतना ही प्रभावी होता है जितना रजिस्टर्ड गोदनामा होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपधारणा गलत रूप से की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में मौजूद अभिवचनों से परे जाकर अपनी कल्पना के आधार पर उक्त बेचान शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये गये हैं जो विधि विरुद्ध होने के साथ ही वादीगण से अनुचित रूप से प्रभावित होकर यह फाईडिंग देना स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोर अवहेलना करते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध यह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित किये गये हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है तथा अपीलाधीन आराजी में 1/3 हिस्सा वादगीण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 17 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 से 25 का है। अपने अपने हिस्से पर पक्षकारान की ढाणियां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए हैं। वक्त बंदोबस्त कर्मियों की भूल से खसरा संख्या 01 का पर्चा लगान लाऔलाद फौत उतमसिंह के पिता दुर्गसिंह तथा खसरा संख्या 113 का पर्चा लगान तेजमालसिंह, उतमसिंह, अखा व सोना के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ। जबकि उक्त समय वादग्रस्त भूमि में उतमसिंह पुत्र दुर्गसिंह के लाऔलाद कुंवारा फौत होने के बाद जानसिंह, बन्नेसिंह व कोजराजसिंह प्रत्येक वंशजों के मौके का 1/3-1/3 हिस्सा एवं इतना ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उतमसिंह के फौत होने पर पीरसिंह पुत्र तेजमालसिंह को उनका नजदीकी वारिस बताकर उतमसिंह के नाम दर्ज खातेदारी खेत खसरा संख्या 114 व 143 का प्रतिवादी संख्या 10 पीरसिंह के नाम अमल दरामद कर दिया गया तथा तेजमालसिंह के फौत होने पर खसरा संख्या 01 में बतौर वारिस दर्ज नहीं किया। रिकॉर्ड पर पीरसिंह पुत्र(गोदपुत्र) उतमसिंह का कोई सबूत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।



राजस्व अपील प्राधिकारी
- बाहमेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेसन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेसन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाघीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया। हाल ही में दिनांक 09-10 जुलाई को उतरदाता/वादीगण द्वारा दी गई बेदखली की धमकी पर उक्त निर्णय/डिक्री एवं पत्रावली की प्रतिलिपियां चाही गईं जो दिनांक 09 व 10 जुलाई 2018 को प्राप्त हुयी, तब अपीलकर्ता को विवेच्य निर्णय/डिक्री की तिथि से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेसन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेसन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर निश्चय किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख खतौनी बंदोबस्त ग्राम सेतराऊ संवत 2012 से (प्रदर्श EXP-1) के मुताबिक खसरा संख्या 01 (वर्तमान ग्राम रामदेव मंदिर) रकबा 125-14 बीघा बारानी दायम तेजा वल्द जानाजी कौम राजपूत साकिन खारिया के नाम वक्त सेटलमेंट खातेदारी में दर्ज हुआ। इसी तरह खतौनी बंदोबस्त ग्राम खारीया संवत 2012 से 2031 (प्रदर्श EXP-7) के मुताबिक खसरा संख्या 113 रकबा 89.06 बीघा तेजमाल वल्द जानसिंह 1/4 उत्तमसिंह वल्द दुरगदास हिस्सा 1/4 अखा वल्द कोजराज 1/4 हिस्सा सोना वल्द बनसिंह हिस्सा 1/4 दर्ज हुआ। इसी तरह खतौनी बंदोबस्त ग्राम खारीया संवत 2021 से 2031 तक (प्रदर्श EXP-4) के मुताबिक खसरा संख्या 114 रकबा 122.05 बीघा तथा खसरा संख्या 143 रकबा 356.15 बीघा उत्तमा वल्द दुर्गा कौम राजपूत साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ है। इसका तात्पर्य है कि वादग्रस्त चारों खसरों की भूमि पृथक-पृथक रूप से उस वक्त जिस कृषक उपभोक्ता के काबिज काशत थी उसी अनुरूप उसी की खातेदारी में दर्ज हुई है जिसका संयुक्त एवं पुश्तैनी होने बाबत



राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई पुख्ता सबूत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 से 09 व प्रतिवादीगण संख्या 11 से 17 का जबावदावा भी इस संबंध में स्पष्ट है। इसका पद संख्या 02 स्पष्ट उल्लेखित है कि "जागीरदार में स्व. तेजमालसिंह स्व. उत्तमसिंह, स्व. अखेसिंह स्व. मोहनसिंह की जिस प्रकार से कृषि जोत अर्जित की हुई थी एवं जिस प्रकार से कब्जा काश्त व स्वामित्व था उसी अनुरूप पर्चा लगान जारी हुए है।" इस कथन की पुष्टि पर्चा लगान से होने की वजह से यह पूर्णतया साबित तथ्य है।" प्रतिवादी संख्या 01 से 09 व प्रतिवादी संख्या 11 से 17 का यह भी कथन रहा है कि "प्रतिवादी संख्या 10 यद्यपि स्व. तेजमालसिंह का जायंदा पुत्र है परन्तु उसे बाकायदा में ही स्व. उत्तमसिंह की इच्छा पर उन्हें गोद दे दिया था और वह उसी के पास रहता था। इस कारण प्रतिवादी संख्या 10 के प्राकृतिक पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में प्रतिवादी संख्या 10 का कोई विधिक अधिकार नहीं रहने से स्व. तेजमालसिंह की फौतगी पर खोल गए नामातकरणों में प्रतिवादी संख्या 10 पीरसिंह का नाम नहीं लिखा गया। इस कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेख नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 20.04.1975 (EXP-5) से होती है। खसरा संख्या 01 रामदेवनगर, खसरा संख्या 114 व 143 खारिया कीता में वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने के कथन किया गया है। इसकी पृथक से तनकी कायम होकर निर्णीत होनी चाहिए थी जिसका नितांत अभाव पाया गया है।

वादी साक्षी गोविन्दसिंह के शपथ-पत्र में अभिकथित खानदानी सजरा (प्रदर्श-1) रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं है। इसलिए खानदानी सजरे को बिना साबित कराये दावा आधारहीन ठहरता है।



वादी पक्ष के कुल तीन गवाहों में से दो गवाह (PW-2 व PW-3) वादग्रस्त भूमि में से दो पंजीबद्ध विक्रय विलेखों से विक्रय होकर क्रेता प्रतिवादी संख्या 26 व 27 के पक्ष में जिस भूमि का खातेदारी अंकन हुआ है, उस भूमि के बारे में कोई कथन नहीं करते हैं। इससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उनके कथनों को पूर्ण समर्थन नहीं मिला है।

वादी पक्ष के गवाह स्वयं वादी गोविंदसिंह (PW-1) अपने शपथ-पत्र में अभिलेख प्रदर्शन बाबत विरोधाभासी कथन करता है। बिंदु संख्या 01 में वह प्रदर्श-1 खानदानी सजरा (परिशिष्ट "अ") का कथन करता है वहीं वाद-पत्र के बिंदु संख्या 08 में मौजा सेतराऊ के खसरा संख्या 01 की खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श-1 बताता है।

प्रतिवादी संख्या 18 से 25 की तरफ से प्रस्तुत स्वीकार्य जबावदावा का पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख समर्थन नहीं करता। वे पद संख्या 04 के संबंध में अभिकथित करते हैं कि "समस्त खसरों में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 4 का

1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 से 17 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 से 25 का 1/3 हिस्सा माफिक कब्जा काश्त चला आ रहा है।" खेत खसरा संख्या 143 भीजा खारिया किता में प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा अपने नाम गलत इन्द्राज के कारण संवत् 2000 व संवत् 2003 में प्रतिवादी संख्या 26 को 25 बीघा व प्रतिवादी संख्या 27 को रकबा 48 बीघा का बेचान कर दिया है।" रेकॉर्ड व विक्रय विलेख तथा दावा के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 26 को 25 बीघा का बेचान न होकर 50 बीघा का बेचान है। इनके कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 26 व 27 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है सो प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा किये गये बेचान को शून्य करार घोषित किया जावे।

वादीगण के वाद में "इस्तदुआ के बिंदु संख्या 02 में नामांतरण संख्या 115 व बेचान शून्य करार दिये जावे यदि वे कायम रहते हैं तो प्रतिवादी संख्या 10 के बंट में आई भूमि में से बेचानों वाली भूमि ही दी जावे की घोषणा की जावे।" का निवेदन रहा जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरण संख्या 115 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में शून्य करार नहीं दिया है।

फॉर्म संख्या 03 में दस्तावेजात फहरिस्त प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुति दिनांक 27.12.2011 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अगिलेख रूप में संख्या 4 (पृष्ठ संख्या 51 व 56) पर अंकित नामांतरण संख्या 66 खेत खसरा संख्या 145, 113 पत्रावली पर था। इसमें ग्राम खारिया किता के वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 113 के अलावा भी ग्राम खारिया कीता खेत खसरा संख्या 145 रकबा 162.18 बीघा तथा खारिया कीता के ही खसरा संख्या 11, 16, 101 कुल रकबा 260.18 बीघा का भी तेजमाल वल्द जानसिंह का फौतगी फलस्वरुब उनके चार पुत्रों जुगता, पता, भीमा व सगता पिता तेजमाल के नाम नामांतरण स्वीकृत हुआ। यदि जीवनसिंह के चारों पुत्रों के परिवारों को जब संयुक्त माना गया तो फिर उक्त नामांतरण में अंकित खसरा संख्या 145, 11, 16, 101 की कुल रकबा 423.11 बीघा भूमि को संयुक्त नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इसे दावे से पृथक रखने के संबंध में भी वादीगण ने दावे में कोई कथन नहीं किया है जबकि खारिया कीता की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 खाता संख्या 136 मुताबिक यह भूमि तेजमाल के वारिसानों के नाम खातेदारी में विद्यमान है। इस प्रकार वादीगण ने प्रस्तुत दावे में तथ्यों का दुराव/छिपाव किया है। इस दृष्टि से वादीगण का दावा सद्भाविक नहीं है।

तनकी संख्या 01 के संबंध में विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "खसरा संख्या 113 के बंदोबस्त रिकॉर्ड से जीवनसिंह के चारों पुत्रों के प्रत्येक बड़े पुत्र के नाम संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी होने से



राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाबू

स्पष्ट है कि वक्त बंदोबस्त जीवनसिंह के चारों पुत्रों का परिवार संयुक्त था। उत्तमसिंह के पिता दुर्गादाससिंह के नाम पर्चा लगान जारी नहीं होने से यह निष्कर्ष सही नहीं है। यह निष्कर्ष दिया है कि वादी साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहान के शपथ-पत्रों से प्रत्येक थोक का वादग्रस्त भूमि में 1/3-1/3 हिस्से पर कब्जा काशत होने की पुष्टि होती है। परन्तु वादी पक्ष के दो गवाह (PW-2 व PW-3) बेचान के फलस्वरूप रिकॉर्ड पर आए दो क्रेतागण की भूमि तथा उस पर उनके कब्जा काशत के बारे में कोई कथन नहीं करते हैं। इससे समस्त वादग्रस्त भूमि पर 1/3-1/3 हिस्से अनुसार कब्जा काशत सिद्ध नहीं होता। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी साबित करने बाबत कोई अकाट्य अभिलेखीय साक्ष्य वादीगण के पक्ष में नहीं है बल्कि वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत एवं प्रदर्शित अभिलेख प्रतिवादीगण संख्या 01 से 17 एवं 26 व 27 के कथनों का समर्थन करता है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

"कथन कि वादग्रस्त भूमि जीवनसिंह के वारिसान की पुश्तैनी है और चारों भाईयों का परिवार वक्त बंदोबस्त संयुक्त था।" इसके लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर भी यह मामले में भूल की गई है कि भूमि पक्षकारान की स्वअर्जित नहीं होकर अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार की है। तनकी संख्या 02 भी निर्विवाद रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित होने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है।



वादीगण द्वारा अपने दावे में विभाजन की इस्तदुआ तो की थी परन्तु बाद में निर्णय वाले दिन ही इसे विद्वा कर लिया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 18 से 25 के प्रतिदावा में प्रस्तुत विभाजन की इस्तदुआ विद्वा नहीं हुई और वादी पक्ष में कोई गौर किये बगैर निर्णय किया, जो सही नहीं ठहराया जा सकता।

वस्तुतः उभयपक्ष के द्वारा धारित कुल भूमि का विवरण राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इस प्रकार है:- "खतौनी बंदोबस्त ग्राम खारिया कला संवत 2012 से 2031 (जो रिकॉर्ड पर लिया गया है) के अनुसार खाता संख्या 28 में भोक्ता का नाम जैसिंह वगैरा मुन्द्रजा तथा उपरोक्ता का नाम तेजमाल वल्द जानसिंह खसरा संख्या 145 रकबा 162.13 बीघा, खाता संख्या 19 में उत्तमा वल्द दुर्गा खसरा संख्या 114 रकबा 122.01 बीघा तथा खसरा संख्या 143 रकबा 356.15 बीघा, खाता संख्या 104 तेजमालसिंह वल्द जानसिंह खसरा संख्या 11 रकबा 82.08 बीघा, खसरा संख्या 16 रकबा 115.08 बीघा तथा खसरा संख्या 101 रकबा 64.07 बीघा खाता संख्या 29

[Signature]
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तेजमाल वल्द जानसिंह हिस्सा 1/4, उत्तमसिंह वल्द दुरगादानसिंह हिस्सा 1/4, अखा वल्द कोजराज हिस्सा 1/4 सोना वल्द बनेसिंह हिस्सा 1/4 अंकित है।

इसका तात्पर्य यह है कि वक्त सेटलमेंट कोजराजसिंह, जानसिंह, बनेसिंह तथा दुर्गादाससिंह चारों जीवित नहीं थे। उनके पुत्र, जो तत्समय भोक्ता जैसिंह वगैरह थे उनकी भूमि के उपभोक्ता कृषक होने से उनके कब्जे काशत वाली भूमि पर तदनुसार खातेदारी में अंकन कर पर्चा लगान जारी हुआ। इससे यह साबित नहीं होता कि वादी/प्रतिवादीगण के कथित पूर्वज जानसिंह की खातेदारी में उक्त वादग्रस्त भूमि कभी रहीं है। यहां तक कि जानसिंह के पुत्रों के नाम भी यह भूमि खातेदारी में नहीं रही। इसलिए इस वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी एवं संयुक्त आलोच्य निर्णय वाला मान लेना कोरी कल्पना है। यह तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं है।

वादीगण का संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि बाबत आलोच्य निर्णय वाला दावा अपूर्ण है। इसमें खसरा संख्या 148, 11, 16 व 101 के बारे में कोई कथन नहीं किया है जबकि मुताबिक रिकॉर्ड यह भूमि भी अकेले तेजमाल वल्द जानसिंह की खातेदारी में अंकित होकर उस पर वाद दायरा के वक्त उनके ही वारिस रिकॉर्डे खातेदार थे। दावा चुनिंदा खसरों के संबंध में करना सद्भाविक एवं पूर्ण नहीं है।

वादीगण के दावे के वाद-पत्र एवं निर्णय के अवलोकन से निम्नलिखित कई त्रुटियां स्पष्ट इंगित होती हैं:-



(अ) वादी के वाद-पत्र में प्रतिवादी संख्या 03 का नाम तेजमालसिंह पुत्र धीरसिंह अंकित किया है जबकि खानदारी सजरे में धीरसिंह के तीसरे पुत्र का नाम तेजमालसिंह नहीं बल्कि जेतमालसिंह अंकित किया है जो अपने आप में विरोधाभासी

(ब) दावे में प्रतिवादी संख्या 10 पीरसिंह द्वारा किये गए दो विक्रय विलेखों के बारे में भी वादीगण ने वाद-पत्र में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये हैं। वे इन विक्रयों को कहीं संवत् 2000 व 2003 में तो कहीं सन् 2000 एवं 2003 में किया जाना बताते हैं। जबकि प्रतिवादी पीरसिंह इनका निष्पादन सन् 2003 (शंकरलाल) व सन् 2010 (ताजाराम) में होना जाहिर करता है।

(स) वाद पत्र वादीगण की कोरी कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता से परे है। प्रतिवादीगण संख्या 18 से 25, जो दावे को स्वीकार करते हैं वे विक्रय की इस भूमि के रकबे के संबंध में दावे से भिन्न कथन करते हैं। वे प्रतिवादी संख्या 26 को


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विक्रय की गई भूमि अपने जबाबदावा में 25 बीघा ही अंकित करते हैं। इस दृष्टि से उनका जबाबदावा भी सत्यता से परे है।


(द) दावे में प्रतिवादी संख्या 18 नगसिंह पुत्र सोहनसिंह को अंकित किया गया है उसके द्वारा संभवत दो तीन वर्ष पूर्व ही गिरधरसिंह पुत्र गेमरसिंह को गोद लिया जाना ज्ञात हुआ है। इस प्रकार पक्षकारों के संयोजन में त्रुटियां दृष्टिगोचर है। दावे में भीमसिंह पुत्र तेजमालसिंह का जिक्र लाऔलाद फौत के रूप में होना किया गया है जबकि प्रस्तुत सजरा में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के जबाबदावा में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 18 से 22 की वल्लिद्यत गलत दर्शाई गई है।

वादग्रस्त भूमि के संबंध में तथ्य यह है कि खसरा संख्या 143 में क्रेता खातेदार ताजारासम का क्रयशुदा भूमि 50 बीघा पर खरीद के वक्त से लगातार कब्जा काश्त मय टांका एवं झूपा है तथा उसका स्वयं का पड़ोसी खेत खसरा संख्या 142 (वर्तमान राजस्व ग्राम धतरवालों की ढाणी) है जिसमें उसकी ढाणी एवं रहवास है। इसी तरह वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 143 के क्रेता शंकरलाल का भी क्रयशुदा 48 बीघा भूमि पर वक्त खरीद के लगातार कब्जा काश्त है जिसका पड़ोसी खेत खसरा संख्या 238/139 (वर्तमान राजस्व ग्राम धतरवालों की ढाणी) है जिसमें उसका ढाणी व रहवास है।

समग्र विवेचन एवं चिंतन मनन पश्चात न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में निष्कर्ष है कि:-

1. प्रतिवादीगण के जिम्मे दो तनकी क्रमशः तनकी संख्या 04 व 05 थी इन्हें सिद्ध करने का प्रतिवादी पक्ष को अवसर ही नहीं दिया गया। पत्रावली पृथक-पृथक तीन जगह कैम्प कोर्ट चाडार मदरूप, रामसर एवं सेतराऊ में रखी गई। सेतराऊ कैम्प कार्ट दिनांक 09.06.2015 की आदेशिका से आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.07.2015 दी गई लेकिन 27.07.2015 पत्रावली पेश होने बावत कोई आदेशिका नहीं है। इसके पश्चात लगभग एक वर्ष 02 माह बाद पत्रावली सीधी दिनांक 26.09.2016 को पेश होने का केवल ठप्पा लगा है। इस तारीख पेशी की सम्यक सूचना अपीलांत पक्ष को इतनी लंबी अवधि पश्चात होने की पुष्टि अभिलेख पर नहीं है लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

2. दावे के पद संख्या 06 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की भूमि के विभाजन की भी वादीगण ने अपने सजरा इस्तुदआ चाही थी जो विद्धो होना नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से भी अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण एवं दूषित है।


राजरज अपील प्राधिकारी
बाइमेर

3.प्रतिवादीगण के जबाबदावा में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 18 से 22 की वलिदयत गलत दर्शाई गई है। इस पर भी गौर नहीं हुआ। इस जबाबदावे में इसी तरह प्रतिवादी संख्या 26 व 27 के कब्जे को स्वीकारा है तथा खसरा संख्या 114 व 143 पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का कब्जा काश्त नकारा गया है। इस बाबत भी कोई ठोस सबूतों पर निर्णय नहीं हुआ है।


4.म्यूटेशन संख्या 115 दिनांक 20.04.1975 (EXP-5) खारिज किये जाने की इस्तदुआ की गई लेकिन इसकी निरस्ती बाबत निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है लिहाजा म्यूटेशन संख्या 115 यथावत प्रभावी है।

5.वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 143 में रकबा क्रमशः 50 बीघा व 48 बीघा क्रेतागण ताजाराम व शंकरलाल द्वारा बाकायदा पंजीबद्ध विक्रेय विलेख से क्रय कर रिकॉर्डेड खातेदार रूप में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी पाई है, उन विक्रय विलेखों को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा शून्य एवं निष्प्रभावी करार नहीं देने तक वे प्रभावी है इसलिए इन विक्रय विलेखों के संबंध में प्रदत्त अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से परे होने से काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2011 (2011/00006) बअनवान गोविन्दसिंह वगै. बनाम अचलसिंह वगै. में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2017 को अपास्त किया जाता है।



यह आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नखतदान ~~राजस्व~~ अपील प्राधिकारी
बाइमेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर
बाइमेर